



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 वैशाख 1942 (श0)
(सं0 पटना 262) पटना, बृहस्पतिवार, 30 अप्रील 2020

गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

अधिसूचना

19 अप्रील 2020

सं0 2/आ0-70-07/2020-3191/गृ0आ0—श्री प्रभात भूषण श्रीवास्तव (औपबंधिक वरीयता क्र0-248/19, गृह जिला—मोतिहारी) अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जहानाबाद को कर्तव्यहीनता, गैर कानूनी कार्य में सम्मिलित होने, उदण्डता तथा कर्तव्य के प्रति घोर उदासीनता बरतने के आरोप में प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली-2005 के नियम-9 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

2. निलंबन की अवधि में श्री श्रीवास्तव का मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, पूर्णिया क्षेत्र, पूर्णिया रहेगा।
3. निलंबन की अवधि में श्री श्रीवास्तव को बिहार सेवा संहिता के नियम-96 के तहत जीवन निर्वहन भत्ता देय होगा।
4. निलंबन की अवधि में श्री श्रीवास्तव सक्षम पदाधिकारी के आदेश के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
5. श्री प्रभात भूषण श्रीवास्तव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जायेगी।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ईश्वर चन्द्र सिन्हा,
सरकार के विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 262-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>